

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

आवश्यक सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा तालिका में उल्लिखित सम्पत्तियों की पंजीकरण की अवधि जनता की माँग के दृष्टिगत दिनांक 31-01-2016 तक बढ़ा दी गयी है:-

श्रेणी	सम्पत्तियों की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०में)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)
शताब्दीनगर, सेक्टर 10 (एयरपोर्ट एन्क्लेव योजना, (जी+3फ्लैट))			
2बैडरूप+ स्टडी रूप	45	99.40	23.00
टाईप ए 2 बैडरूप फ्लैट	151	81.15	20.00
टाईप बी 2 बैडरूप फ्लैट	85	86.10	21.00
रक्षापुरम फेस-1, सेक्टर 3, (रक्षाग्रीन योजना में (स्टील्ट+4 मंजिला))			
मध्यम आय वर्ग फ्लैट	69	71.88	29.50
गंगानगर योजना, पॉकेट जे (4 मंजिला फ्लैट्स)			
अल्प आय वर्ग फ्लैट	12	39.75	11.06
डा० राम मनोहर लोहियानगर योजना, पॉकेट एम, भूखण्ड दर रुपये 10,600/- प्रति वर्ग मीटर			
दुर्बल आय वर्ग	35	36	3.82

उक्त विज्ञापित सम्पत्तियों के पंजीकरण हेतु सामान्य वर्ग के आवेदकों से 10 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 5 प्रतिशत धनराशि आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी। उक्त योजनाओं के पंजीकरण आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिका एच०डी०एफ०सी०बैंक, इलाहाबाद बैंक व आई०डी०बी०आई० बैंक व आई०सी०आई०सी०आई० बैंक की विज्ञापित शाखाओं से मिलेगी। उपरोक्त विज्ञापित बैंक जिनका विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.org.in पर तथा पंजीकरण विवरण पुस्तिका में उल्लिखित है, पंजीकरण आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिकायें बैंक की अधिकृत शाखाओं से क्रय की जा सकती है तथा आवेदकों के पंजीकरण धनराशि सहित पंजीकरण आवेदन पत्र उन्हीं बैंक की शाखाओं में दिनांक 31-01-2016 तक जमा किये जायेंगे।

सचिव।

उपाध्यक्ष।